



FORM-X

FORM OF NOTICE FOR COMMENCEMENT OF WORK
(TO BE FURNISHED BY THE PLOT OWNER(S) AND THE BUILDER/DEVELOPER)

FROM
MOHAMMAD AADIL, DIRECTOR OF
VASTI HOMES PRIVATE LIMITED
NEAR MITHILA FLOUR MILL, VILL- SARA MAHAMAD,
TOLA- SARA MAHAMAD, DARBHANGA – 846 009, BIHAR

(NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT IN BLOCK LETTERS)

TO.
THE MUNICIPAL COMMISSIONER,
DMC, DARBHANGA, BIHAR

Sir,

I/We hereby give notice of the erection of building in with respect of Plot. No. 2561, Khata No. 584, Muaza- BALBHADRAPUR, Thana No. 434, Mohalla – BALBHADRAPUR, LAHERIASARAI, Ward No. 44, of Darbhanga Municipal Corporation/ Municipal Council/Nagar Panchayat/Metropolitan Area /Planning area under Darbhanga Municipal Corporation Planning Authority /Planning Scheme notified under Bihar urban Planning and Development Act.2012 within the development plan area of Darbhanga to be commenced on 04/04/2022 as per the permission given in your letter No. 477 dated. 09/02/2022, Under the supervision of Md. Shanur Rahman Authority/empanelled Architect/Engineer/ Structural Engineer Regd. No. CA/2013/60963 in accordance with approved plan.

VASTI HOMES PRIVATE LIMITED

Yours faithfully,
Md. Aadil

Signature(s) of the Owner

VASTI HOMES PRIVATE LIMITED

Md. Aadil

DIRECTOR

कार्यालय दरभंगा नगर निगम, दरभंगा

पत्रांक- 477 दिनांक - 08/02/22

प्रेषक :-

नगर आयुक्त,
दरभंगा नगर निगम, दरभंगा।

सेवा में,

श्री/श्रीमती गनोज कुमार राय श्री प्रसुन्न कुमर राय एवं श्री अमिता कुमर राय
पिता/प्रति सगं रामवहापुर राय
ग्राम+मुहल्ला पक्षभद्रपुर
वार्ड सं०- 44 थाना ०दिरिगासराज
दरभंगा।

विषय :- प्लान केश संख्या- 1022121500032 2021-22 भवन निर्माण का नक्शा की स्वीकृति के संबंध में।
147

महोदय,


उपर्युक्त विषय आपके द्वारा प्रस्तुत भवन निर्माण नक्शा मुहल्ला- पक्षभद्रपुर वार्ड सं०- 44
खाता- 584 खेसरा- 2561 विहार नगरपालिका अधिनियम-2007, विहार भवन
उपविधि 2014 के 315, 316, 317, 414 एवं 419 के अन्तर्गत निम्न शर्त पर 19.20.97 एम.टी.ए. (आयुक्त) भवन
निर्माण की स्वीकृति दी जाती है :-

1. विहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार प्रस्तावित भवन के चारों तरफ सेटबैक छोड़ा जाएगा।
2. भवन निर्माण के समय जल निकासी के प्रावधान नक्शा के अनुसार किया जाना है एवं विहार भवन उपविधि 2014 के नियमानुसार नगर निगम के नाले से भवन मालिक को ही अपने नाला को जोड़ना होगा।
3. भवन में रेन वाटर हार्वैस्टिंग जलापूर्ति, सेप्टिक टैंक एवं भविष्य में सिवरेज सिस्टम विलिडिंग वायोलॉज के तहत किया जाएगा।
4. निगम में समर्पित भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र नक्शा आदि में त्रुटि एवं गड़बड़ी की जवाबदेही स्वयं आवेदक का होगा।
5. जिन अभियंता द्वारा नक्शा बनाया गया है, भवन निर्माण के दौरान उसके सुपरविजन में कार्य कराया जाएगा के समय-समय पर निगम को प्रतिवेदन देना होगा एवं भवन निर्माण पूर्ण होने पर निगम को सूचना देंगे तथा उनका प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।
6. भवन के सामने सरकारी सड़क एवं नाला का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण उपरान्त कम्पलीशन प्रमाण-पत्र अभियंता के माध्यम से देना होगा।
7. भवन स्वामी को भवन उपविधि के अनुसार भवन के अन्दर की पार्किंग की व्यवस्था संलग्न नक्शा के अनुरूप करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत नक्शों का एक प्रति कार्य स्थल पर छिपकाना सुनिश्चित करेंगे ताकि समय-समय पर उसका जांच किया जा सकें।
9. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेंगे।

उपरोक्त कार्य में विहार भवन उपाविधि 2014 के उल्लंघन पर सरकारी दण्ड के भागी भवन स्वामी होगा।

इस शर्त पर नक्शा स्वीकृत किया जाता है यह स्वीकृति अगले तीन वर्ष के लिये वैध होगा। किसी प्रकार के उल्लंघन/शिकायत होने पर स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा एवं सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विहार भू-सम्पदा (विनियम और विकास)
नियमावली 2017 की शर्तों के अधीन
राज्य में गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण से
इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।



विश्वाशभाजन

नगर आयुक्त,

दरभंगा नगर निगम, दरभंगा

08/02/2022